

राजस्थान सरकार  
**प्रारम्भिक शिक्षा विभाग**  
\*\*\*\*\*

28 MAY 2019  
28 MAY 2019

क्रमांक: प. 5(8)प्राशि/2016

जयपुर, दिनांक:

1. आयुक्त सह विशिष्ट सचिव, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
2. आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पराज (प्राशि) राजस्थान, बीकानेर।

विषय: शैक्षणिक स्टाॅफ के पदों का विद्यालयवार आवंटन एवं समानीकरण/पदस्थापन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 05.12.2018 के द्वारा आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर कम विशिष्ट शासन सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक कार्मिकों के पदों के विद्यालयवार आवंटन एवं समानीकरण/पदस्थापन के सम्बन्ध में इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी दिशा-निर्देश दिनांक 21.04.2016 एवं 24.06.2016 तथा अन्य के अतिक्रमण में निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 में वरिष्ठ अध्यापक के हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा एवं सामान्य विषयों के पद संवर्गित है। वर्ष 2016-17 में शैक्षणिक कार्मिकों के पदों के विद्यालयवार आवंटन की प्रक्रिया में वरिष्ठ अध्यापक के पदों का राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.16(3)शिक्षा-2/2011 दिनांक 16.10.2015 (संलग्न परिशिष्ट-1) के अनुसार हैडटीचर/संस्था प्रधान, उच्च प्राथमिक विद्यालय/प्राथमिक विद्यालय के कार्य हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक के पद का सात विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा एवं सामान्य) में संभागवार वितरण संलग्न परिशिष्ट-2 तथा जिलेवार वितरण संलग्न परिशिष्ट-3 के अनुसार किया गया। उक्त क्रम में स्टाफिंग पैटर्न के पुनर्निर्धारण के दौरान वरिष्ठ अध्यापक के पदों का राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.16(3)शिक्षा-2/2011 दिनांक 16.10.2015 (संलग्न परिशिष्ट-1) के अनुसार हैडटीचर/संस्था प्रधान, उच्च प्राथमिक विद्यालय/प्राथमिक विद्यालय के कार्य हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक के पद का सात विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा एवं सामान्य) में आनुपातिक रूप से संभागवार वितरण परिशिष्ट-2 तथा जिलेवार वितरण परिशिष्ट-3 पुनर्निर्धारित किया जावे।
2. पदों के पुनर्निर्धारण एवं समानीकरण की कार्यवाही प्रथमतः वर्ष 2016-17 में एवं तत्पश्चात् प्रत्येक दो वर्ष में की जानी थी तथा भविष्य में भी प्रत्येक 02 वर्ष में की जायेगी। मानदण्डों के अनुसार पदों की गणना हेतु रियल टाईम नामांकन को आधार माना जावेगा। तदनुसार जिस माह स्टाफिंग पैटर्न का पोर्टल पर पुनर्निर्धारण हो, उससे पूर्व माह की अंतिम तिथि के नामांकन को आधार रखा जावेगा।

(नोट:-यदि स्टाफिंग पैटर्न का पोर्टल पर पुनर्निर्धारण मई, जून या जुलाई माह में किया जाता है तो पूर्व सत्र के अंतिम नामांकन को आधार रखा जायेगा। जून या जुलाई से भिन्न अन्य माह में स्टाफिंग पैटर्न का पोर्टल पर पुनर्निर्धारण होता है तो पूर्व माह की अंतिम तिथि के नामांकन को आधार रखा जावेगा।)



